

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामेश्वर

बनाम

जगदीश वगै०

मा नं० :- 183 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 14.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ</b></p>	
14.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1146 रकबा 1.0500 है० ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, तहसील आंधी की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, वकील अप्रार्थी सं० 2 ता 3 का जवाब, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1146 रकबा 1.0500 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी (जमवारामगढ) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ</b></p>	